(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

SERVICES DEPARTMENT

Notification

Date 26/09/2017

No.F.20/13/2017/S-I/Lit/2316-2318 In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Advocates as Government Pleaders/Counsels for the High Court of Delhi at New Delhi and the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Services Department, Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs of the Services Department, Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it.

1. Ms. Rachna Srivastava, Advocate

- 2. Sh. Puneet Agarwal, Advocate
- 3. Ms. Deepika, Advocate
- 4. Ms. Mini Pushkarna, Advocate
- 5. Sh. Rajneesh Kumar Sharma, Advocate
- 6. Sh. Siddartha Panda, Advocate

This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force until further orders.

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No.F.5(2)/07/Lit./303-310 dated 18 March 2008 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

By order and in the name of

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

Deputy Secretary (Services)

No.F.20/13/2017/S-VLiv 2870-2878

Date: 26/09/2017

- 1. The Pr. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 2. The OSD to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 3. The OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
- The Controller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi.
- The Registrar General, High Court and Principal Bench CAT.
- The Addl. Secretary (GAD/Co-ordination), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi with the request to publish and forward 10 copies of the Gazette Notification to this Department.
- Shri Yeeshu Jain, Standing Counsel
- 9. All Panel Advocates of Services Department.
- 10. Guard File.

(D. Karthikeyan)

Deputy Secretary (Services)

(दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सेवाएं विभाग

अधिसूचना

स0फा0 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/2 85-251 सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 3 की उपधारा (7) द्वारा प्रवत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल तथा रोवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीउब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के सबंध में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ दिल्ली के लिये सरकारी वक्रील/काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं।

- 1. सुश्री रचना श्रीवास्तव, वकील
- 2. श्री पुनीत अग्रवाल, वकील
- 3. सुश्री दीपिका, वकील
- 4. सुश्री मिनी पुष्करना, वकील
- 5. श्री राजेश कुमार शर्मा, वकील
- 6. श्री सिद्धार्थ पांडा, वकील

यह अधिसूबना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अगले आदेशों तक जारी रहेगी।

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति विच्नि, त्याय एव विधायी विभाग तथा समय समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 18 मार्च, 2008 की अधिसूचना संठ फाठ 5(2)/07/वि0/303—310 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एव निबंधनों के अनुसार होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

> (डी० कार्तिकेयन) उप-सचिव (सेवाएँ) दिनांकः 26/09/2017

संवकाव 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/ 2870-2878

- प्रधान सचिव, उपराज्यापाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- समस्त प्रधान सचिवों / सचिव, राष्ट्रीय राजधाँ भी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 5. लेखा नियंत्रक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- महापंजीयक, उच्च न्यायालय एंड प्रधान शाखा कैट।

- अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग / समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विल्ली सचिवालय, गई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ। कृपया कार्यालय प्रयोग के लिए राजपत्र की 10 प्रतियां इस विभाग में भिजवाएं। श्री यीशु जैन, रथायी वकील। सेवा विभाग के सगस्त पैनल अधिवक्ता।

गार्ड फाईल। 10.

(डी० कार्तिकेयन) उप-सचिव (सेवाएँ)

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI SERVICES DEPARTMENT

Notification

Date 26/09/2017

No.F.20/13/2017/S-I/Lit/2873-2887 In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Yeeshu Jain, M-13A, 1st Floor, Jangpura Ext., New Delhi-14 as Standing Counsel for the High Court of Delhi at New Delhi and the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Services Department, Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs of the Services Department, Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by him.

This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force until further orders.

The appointment of Shri Yeeshu Jain, Advocate as Standing Counsel is subject to terms and conditions as contained in notification No.F.5/10/91-Lit./1345 dated 26th February,1992 and also as may be prescribed, from time to time.

By order and in the name of

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

(D. Karthikeyan)

Deputy Secretary (Services)

Date. 26/09/2017

No.F.20/13/2017/S-I/Liv 2819-2887

- 1. The Pr. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 2. The OSD to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 3. The OSD to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 4. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Controller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi.
- The Registrar General, High Court and Principal Bench CAT.
- The Addl. Secretary (GAD/Co-ordination), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi with the request to publish and forward 10 copies of the Gazette Notification to this Department.
- 8. Shri Yeeshu Jain, Standing Counsel
- 9. All Panel Advocates of Services Department.
- 10. Guard File.

(D. Karthikeyan)

Deputy Secretary (Services)

(दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सेवाएं विभाग

अधिसूचना

सं0फा0 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/2879-87- सिविल प्रक्रिया संिहता (1908 का 5) की घारा 3 की उपधारा (7) द्वारा प्रवत्त शक्तियों तथा इस सबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में भारत संघ के विरूद्ध किसी बाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के सबध में श्री यीशु जैन, एम-13ए, प्रथम तल, जंगपुरा एक्सटेशन, नई दिल्ली 14 को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधार्ग पीठ दिल्ली के लिये स्थायी काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और अगले आदेशों तक जारी रहेंगी।

श्री यीशु जैन, स्थायी काउंसिल के रूप में अधिवक्ता की नियुक्ति दिनांक 26 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं0 फ0 5/10/91/वि0/1345 तथा सगय—समय पर यथाविनिर्धारित में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

> > (डी० कार्तिकेयन) उप-सचिव (सेवाएँ) दिनांकः 26 | 09 | 2017

सं0फा0 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/2879-2887

- प्रधान सर्विव, उपराज्यापाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
 विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- समस्त प्रधान सिववों / सिवव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- लेखा नियंत्रक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
 महापंजीयक, उच्च न्यायालय एंड प्रधान शाखा कैट।
- अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग / समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ। कृपया कार्यालय प्रयोग के लिए राजपत्र की 10 प्रतियां इस विभाग में भिजवाएं।
- श्री यीश जैन, स्थायी वकील।
- 9. सेवा विभाग के समस्ता पैनल अधिवक्ता।
- 10. गार्ड फाईल।

(डी० कार्तिकेयन) उप-सचिव (सेवाएँ)